राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

राधाकिशन बनाम शुभ मारुती

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16/10/2025		
26/12/2025	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 29/12/2025 को पेश हो।	
29/12/2025	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 31/07/2025 पारित करते हुए तहसीलदार चौमू को विवादित भूमि वाके ग्राम कालाडेरा, पटवार हल्का कालाडेरा, भू.अ. निरीक्षक क्षेत्र कालाडेरा, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर में हाल खाता सं. 137 में वर्णित खसरा नं. 2904 रकबा 0.3200 हैक्टेयर, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.3200 हैक्टेयर एवं खाता सं. 138 में वर्णित खसरा नं. 3115 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नं. 3128 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नं. 3129 रकबा 0. 0900 हैक्टेयर कुल किता 3 का कुल रकबा 0.1100 हैक्टेयर, खाता सं. 140 में वर्णित खसरा नं. 3122 रकबा 0.1400 हैक्टेयर, खसरा नं. 3123 रकबा 0.1500 हैक्टेयर, खसरा नं. 3124 रकबा 0. 2000 हैक्टेयर कुल किता 3 का कुल रकबा 0.4900 हैक्टेयर, खाता सं. 143 में वर्णित खसरा नं. 4889/2903 रकबा 0.0250 हैक्टेयर कुल किता 1 का कुल रकबा 0.0250 हैक्टेयर एवं खातां सं. 144 में वर्णित खसरा नं. 3119 रकबा 0.2600 हैक्टेयर, खसरा नं. 3125 रकबा 0.3600 हैक्टेयर, खसरा नं. 3126 रकबा 0.4300 हैक्टेयर, खसरा नं. 3127 रकबा 0.2000 हैक्टेयर, खसरा नं. 3130 रकबा 1.4900 हैक्टेयर, खसरा नं. 3131 रकबा 0.6800 हैक्टेयर, खसरा नं. 3132 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, खसरा नं. 3132/3587 रकबा 0.1400 हैक्टेयर, खसरा नं. 3133 रकबा 0.2400 हैक्टेयर, खसरा नं. 3139 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, खसरा नं. 4892/3118 रकबा 0.0700 हैक्टेयर, खसरा नं. 4894/3134 रकबा 0.0850 हैक्टेयर, खसरा नं. 4896/3135 रकबा 0.1250 हैक्टेयर, खसरा नं. 4902/3138 रकबा 0.0800 हैक्टेयर कुल किता 14 का कुल रकबा 4.2600 हैक्टेयर भूमि का जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार सभी पक्षकारों के रहवास / मकानात एवं रास्ते की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, कब्जे काश्त को प्राथमिकता देते हुए एवं बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर तकासमा किया जाकर तथा तहसीलदार चौमूँ को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि राजस्थान अभिधृति '(राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुयें सभी सहखातेदारों को उनके जमाबन्दी अनुसार दर्ज विधिक हक हिस्से का वितरण किये जाने के आदेश प्रदान किये गये।	

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

साधाकिशन बनाम शुभ मारुती

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
16/10/2025	

जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 31/07/2025 के विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गयी। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन विभाजन के वाद में बाद सुनवाई उभयपक्षकारान अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित करते हुये विवादग्रस्त भूमि की जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार सभी पक्षकारो के रहवास/मकानात एवं रास्ते की सुविधा को ध्यान में रखते हुये कब्जे काश्त को प्राथमिकता देते हुये बाई मीट्स एण्ड बाउन्ड्स तकासमा किये जाने के आदेश प्रदान किये गये है, जिसमे कोई त्रुटी जाहिर नही होती है। विधि के प्रावधानों के अनुसार भी यदि जमाबन्दी में दर्ज सहखातेदारान के हिस्से के सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्रकट नही हो तो जमाबन्दी में दर्ज सहखातेदारान के मध्य विभाजन हेतु मीट्स एण्ड बाउन्ड्स के आधार पर कुर्रेजात तलब किया जाना आवश्यक होता है। ऐसेमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री विधिसम्मत प्रतीत होती है। अपीलार्थी द्वारा अपनी बहस में मुख्य रूप से तामील के बिन्दु पर आपत्ति जाहिर की गयी है किन्तु चूँकि सहखातेदारान के मध्य विभाजन एक आवश्यक प्रक्रियां है, ऐसेमें तकनीकी बिन्दुओ के आधार पर सहखातेदारान को विभाजन कर अलग-अलग खाता व लगान कायम करवाने से वंचित रखा जाना न्यायोचित्त प्रतीत नही होता है एवं किस सहखातेदारान को किस स्थान पर भूमि प्राप्त होगी के सम्बन्ध में कुर्रेजात उपरान्त अन्तिम डिक्री से पूर्व आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर अपीलार्थी के पास उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 31/07/2025 में कोई त्रुटी जाहिर नही होने से यथावत रखे जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29/12/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर